

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway
कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर
Personnel Department, Divisional Railway Manager Office, Bilaspur
CHIEF OFFICE SUPERINTENDENT, L-7 (DPQ-100%)

अधिसूचना सं. 171/2025, दिनांक: 17-04-2025
NOTIFICATION NO. 171/2025 DT: 17-04-2025

विषय: परिचालन विभाग/बिलासपुर मंडल/द.पू.म.रे. के मुख्य कार्यालय अधीक्षक (यूनिफाइड ग्रुप) वेतन मैट्रिक्स लेवल -7, 100% DPQ, के पद को भरने के लिए अधिसूचना।

Sub: Notification for filling up the post of Chief Office Superintendent (Unified Group), Pay Matrix Level-7, 100%DPQ, in Operating Department/Bilaspur Division/SECR.

परिचालन विभाग/बिलासपुर मंडल/द.पू.म.रे. के मुख्य कार्यालय अधीक्षक (यूनिफाइड ग्रुप) वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 के 01 (एक) पद को भरने के लिए एक पैनल बनाने का प्रस्ताव है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:
It is proposed to form a panel for filling up of 01 (One) post of Chief Office Superintendent (Unified Group) Pay Matrix Level-7 of Operating Department/Bilaspur Division/SECR. The break-up of vacancies is as under:

समुदाय (Community)	सामान्य (UR)	अ.जा. (SC)	अ.जा.ज. (ST)	कुल (Total)
रिक्तियों (Vacancy)	01	00	00	01

1. कर्मचारियों की पात्रता और सेवा शर्तें (ELIGIBILITY AND SERVICE CONDITIONS OF STAFF):

जिन कर्मचारियों ने परिचालन विभाग में कार्यालय अधीक्षक (यूनिफाइड ग्रुप), लेवल 6- के रूप में न्यूनतम 02 (दो) वर्ष की सेवा की है, वे मुख्य कार्यालय अधीक्षक (यूनिफाइड ग्रुप) लेवल 7-के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र हैं।
Staff who have put in a minimum of 02 (two) years' service as Office Superintendent (Unified Group) Level-6 of Operating Department is eligible for promotion as Chief Office Superintendent (Unified Group) Level-7.

(Authority: PCPO/BSP's Para 5.1 of Estt Rule No. 302/2019)

2. उपयुक्तता हेतु प्रक्रिया (PROCEDURE FOR SUITABILITY):

- a) मुख्य कार्यालय अधीक्षक की श्रेणी को गैर-चयन पद के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए कर्मचारियों को 1:1 अनुपात में बुलाया जाना है। रिक्ति को वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता द्वारा भरा जाना है।
The category of Chief Office Superintendent is classified as Non-selection post, hence staff is to be called in 1:1 ratio. The vacancy is to be filled up by Seniority-Cum-Suitability.
- b) उपयुक्तता का निर्धारण सेवा अभिलेखों की जांच, पिछले 03 वर्षों की एपीएआर की ग्रेडिंग तथा डी एंड ए मंजूरी के आधार पर किया जाएगा।
Suitability will be conducted on the basis of scrutiny of service records, grading of last 03 years APAR and D&A clearance.
- c) अभ्यर्थियों को पिछले तीन वर्षों के APAR में कुल 15 में से 08 अंक प्राप्त करने होंगे।
The candidates are to be secured 08 Marks out of 15 as aggregate in last three years APAR.

(Authority: PCPO/BSP's Estt Rule No. Para3.1 of Estt Rule No.302/2019, 200/2009 & 196/2011)

3. आरक्षण का प्रावधान (PROVISION OF RESERVATION):

- a) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन निम्नानुसार किया गया है: - उपरोक्त उपयुक्तता माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता एवं अन्य के मामले में अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 30621/2014 दिनांक 26-09-2018 के अंतिम परिणाम के अधीन है।

The conditions set out by the Hon'ble Supreme Court has been complied as under:-The above suitability is provisional subject to final outcome of the contempt Petition (Civil) No. 30621/2014 dtd. 26-09-2018 in the matter of Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narayan Gupta & Other at Hon'ble Supreme Court.

(Authority: PCPO/BSP's Estt Rule No. 123/2022, 165/2022 & 94/2024)

- b) स्थापना नियम संख्या 168/22 के अनुसार फीडर ग्रेड पद की पहचान पीडब्ल्यूबीडी के लिए की गई है, लेकिन केवल एक रिक्ति होने के कारण, इस तत्काल उपयुक्तता में आरक्षण नहीं दिया गया है।

The feeder grade post is identified for PwBD in terms of Estt. Rule No. 168/22, but due to only one vacancy, hence reservation not given in this instant suitability.

(Authority: PCPO/BSP's Estt Rule No. 54/19, 168/2022 & 08/2025)

4. विचाराधीन क्षेत्र के अंतर्गत कर्मचारी (STAFF UNDER ZONE OF CONSIDERATION):

पात्रता सूची में शामिल कर्मचारी को मुख्य कार्यालय अधीक्षक (यूनिफाइड ग्रुप), लेवल-7 के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा। पात्रता सूची का विवरण निम्नानुसार है:-

The employee included in the eligibility list will be considered for promotion to the post of Chief Office Superintendent (Unified Group), Level-7. The details of eligibility list are as under:-

Sr. No.	PF No.	Name	Desig	Comm.	Unit	Remarks
1	39207560886	GHANSHYAM VISHWAKARMA	OS	UR	BSP	As Anticipated

5. कर्मचारियों को सूचित करना (NOTIFYING TO THE STAFF):

नियंत्रण अधिकारी/पर्यवेक्षक बिलासपुर मंडल के परिचालन विभाग के पात्र कर्मचारियों तक अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे तथा अधिसूचना को प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इस संबंध में औपचारिकताएं पूरी करना वरिष्ठ अधीनस्थ/पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होगी।

The controlling officer/supervisor shall give wide publicity of notification to eligible staff of Operating department of Bilaspur Division and notification should be displayed at conspicuous places. It should be the responsibility of senior Subordinate/Supervisor to complete the formality in this respect.

6. अनिच्छा या अभ्यावेदन/आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (LAST DATE FOR SUBMISSION OF UNWILLINGNESS OR REPRESENTATION/OBJECTION):

- a) यदि उपरोक्त कर्मचारी पदोन्नति स्वीकार करने में अनिच्छा प्रस्तुत करते हैं या किसी अन्य कर्मचारी ने पात्रता सूची के खिलाफ प्रतिनिधित्व/आपत्ति प्रस्तुत की है, तो उन्हें अपने संबंधित शाखा कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, वरिष्ठ मं.परि.प्र./बिलासपुर द्वारा ऐसी अनिच्छा या प्रतिनिधित्व/आपत्ति को स्वीकार करते हुए, इसे **23-04-2025 तक** या उससे पहले इस कार्यालय को भेजा जा सकता है और ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि पात्रता सूची के खिलाफ कोई अनिच्छा या प्रतिनिधित्व/आपत्ति नहीं है।

If above staff submitted unwillingness to accept the promotion or any other staff submitted representation/objection against eligibility list may be submitted to their respective branch office duly accepting such unwillingness or representation/objection by the Sr. DOM/BSP, the same may be sent to this office **on or before 23-04-2025** & failing which it shall be presumed that there is no unwillingness or representation/objection against the eligibility list.

- b) अधिसूचना SECR वेबसाइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> पर भी उपलब्ध है।
The notification also available on SECR website- <http://www.secr.indianrailways.gov.in>
- c) होम पेज का लिंक: Dept./Div of SECR→Divisions→Bilaspur→Personnel→Notifications
Link of the Home page: Dept./Div of SECR→Divisions→Bilaspur→Personnel→Notifications

नोट:- अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि रेलवे प्रशासन ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि वे अयोग्य पाए जाते हैं या अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज/प्रमाणपत्र तथा अपेक्षित चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं या किसी सतर्कता/एसपीई/डीएआर मामले में संलिप्त हैं।

Candidates should note that, the Railway Administration reserves the right to cancel the candidature of such candidates at any stage of selection process without assigning any reason there of if they are found in-eligible or unable to submit the requisite documents/certificates of educational qualification as well as requisite medical certificate or involved in any vigilance/SPE/DAR cases.

Digitally signed by
सतगुरु सिंह अश्विनी-I
कृते व ति. मण्डल कार्यालय अधिकारी
Date: 17-04-2025 17:57:47
Reason: Approved

No.: E/153/OPTG/Ch.OS(Unified)/Part-II/25

Date:17-04-2025

Copy forwarded for information and necessary action to:

Sr.DOM/BSP, Sr.DFM/BSP, DC/SECRM/BSP, DS/AISCSTREA/BSP, DS/SECROBCEA/BSP, CDTI/Plg./BSP, Ch. OS(Conf.), Ch. OS/IT, Ch. OS/MPP, Ch. OS/OMR, Ch.OS/APAR & Ch.OS/Bills-II are advised to submit last 03 years APAR & Service Record at the earliest.